

## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 71/2018

बउनवान

रमेशचन्द्र पुत्र श्री सूरजमल जाति मीणा, निवासी पीपल्दा, उप तहसील सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज०) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जय्ये नायब तहसीलदार सीसवाली, तहसील मांगरोल, जिला बारां (रेस्पोंडेंट)



अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री बृजमोहन गोयल, अभिभाषक

2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 27.07.2022

अपीलांट ने जय्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम पीपल्दा तहसील—मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 198 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म—बंजड़ पर अतिक्रमी मानकर 200/-रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट का अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाईश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जय्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अपील प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।



जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

बहस के स्तर पर पत्रावली दिनांक 02.11.2020 से विचाराधीन रही है। इतनी अधिक समयावधि से पत्रावली बहस के स्तर पर विचाराधीन रहने के पश्चात भी अभिभाषक अपीलांट निरंतर समय चाहते रहे। अभिभाषक अपीलांट आज भी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हमने परोकार सरकार की बहस एकपक्षीय समाप्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 409/17 निर्णय दिनांक 10.03.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस परोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। पटवारी हल्का के बयान से पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 198 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म-बंजड़ ग्राम पीपल्दा पर सम्वत् 2073 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 409/17 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2017 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा प्रकरण संख्या 655/18 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलेक्टर, बारा  
(राज.)